

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2022
प्र.इ.रि.स..... 19/06/22 दिनांक 17/5/2022
2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018
(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता –
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 343 समय 5:20 PM
(ब) अपराध के घटने का दिन व समय : मंगलवार दिनांक 01.03.2022 एवं
सोमवार दिनांक 07.03.2022
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 28.02.2022
4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित
5. घटना स्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी : उत्तर दिशा में करीब 560 किलोमीटर
(ब) पता : ग्राम कलिंजरा पुलिस थाना कलिंजरा जिला बांसवाडा।
..... बीट संख्या जरायमदेही सं.....-..
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना जिला-.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
(अ) नाम : - श्री सुखलाल डांगी
(ब) पिता का नाम : - श्री फूलजी डांगी
(स) जन्म तिथि/वर्ष : -
(द) राष्ट्रियता : - भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या जारी होने की तिथि
जारी होने की जगह-.....
(र) व्यवसाय : - मजदूरी
(ल) पता : - निवासी गांव नाल थाना कलिंजरा जिला बांसवाडा।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1- श्री सुर्यसिंह पुत्र श्री लालसिंह निवासी गांव ओडवाडा थाना गढी जिला बांसवाडा हाल हैड कानि-307 पुलिस थाना कलिंजरा जिला बांसवाडा।
2- श्री विपुल कुमार पाटीदार पुत्र श्री किसोरीलाल पाटीदार निवासी गांव जौलाना तहसील गढी जिला बांसवाडा हाल कानि-127 पुलिस थाना कलिंजरा जिला बांसवाडा।
8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण : कोई विलम्ब नहीं
9. चुराई हुई/संलपित सम्पत्ति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)
क्र.सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तुस्थिति
- - - - -
10. चुराई हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य : -
11. मर्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो : -
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (मजमून) (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे) :

h

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि दिनांक 28.02.222 समय 03.00 पीएम पर परिवादी श्री सुखलाल पिता फुलजी डांगी निवासी गांव नाल थाना कलिंगरा जिला बांसवाडा ने ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट मन् अति० पुलिस अधीक्षक को इस आशय की पेश की गई कि " मेरे और काकोजी में अपसी जमीन नी विवाद के कारण झगडा हो गया था, जिस पर मैने मेरे द्वारा कलिंगरा पर के फोन नम्बर नहीं होने से 100 नम्बर पर किया जिस पर थाने से जीप में पुलिस वाले आए हम दोनों को समझाईश कर थाने पर आने के लिये कहा। मैने कहा हैड साहब रिपोर्ट तो ले लो जिस पर रिपोर्ट नहीं ली तथा मुझे व मेरे काका को तीन-तीन हजार रूपये देने को कह तथा यह रिश्वत राशि थाने के हैड साहब सुर्यसिंग और सिपाही विपुलजी ने मांगे नहीं देने पर जेल में बंद करने की धमकी दी में रिश्वत नहीं देकर हैड साहब को सिपाई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ" इत्यादि पेश की गई। मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द-बशब्द सही होना स्वीकार किया। मजिद दरियाप्त पर परिवादी ने बताया कि हमारे जमीन विवाद के कारण मेरे काका श्री सोनिया पिता खातु, शान्तिलाल पिता खातु व श्रीमती काली पत्नि शान्तिलाल वगैरा लोगो आये दिन झगडे होने से तीन-चार बार पुलिस थाना कलिंगरा में रिपोर्ट दी गई परन्तु रिपोर्ट दर्ज करने के नाम से रुपये लेकर कोई कार्यवाही नहीं करते है। उररी भुमि के मामले में दिनांक 26.02.2022 को हमारे परिवार वालों के बीच आपस में झगडा हो गया जिस पर मैने रात को झगडा होने पर पुलिस के 100 नम्बर पर सूचना दी तो पुलिस थाना कलिंगरा से हैड साहब श्री सुर्यसिंह व तीन पुलिस वाले थाने की जीप लेकर मेरे गांव घर पर आये और मुझे और मेरे काका श्री सोनिया को जीप में बैठाकर ले जाने लगे तो हमारे गांव के श्री गौतम पिता धुलजी द्वारा पुलिस वालों को हाथा जोडी कर कहा कि कल दिनांक 27.02.2022 को थाने पर लेकर आ जाउंगा। जिस पर पुलिस वालों ने हम दोनो को छोड़कर चले गये। दिनांक 27.02.2022 को मैं, मेरा काका सोनिया व श्री गौतमजी व मेरी पत्नि थाने पर गये तो थाने वालों ने मेरी रिपोर्ट नहीं ली और वहां थाने पर बीट कानिस्टेबल श्री विपुल ने कहा कि तू दूबारा रिपोर्ट लेकर आया तो तुझे ही जेल में बंद कर दूंगा। बीट कानिस्टेबल ने कहा कि रात को थाने की जीप आई थी जिसका तुझे 5,000 रुपये खर्चा देना पडेगा और जांच श्री सुर्यसिंह हैड साहब के पास है। मैने काफी हाथा जोडी तो बीट कानिस्टेबल विपुल ने 3,000 रुपये खर्चापानी स्वयं एवं हैड साहब के लिये मांग की गई और मेरी रिपोर्ट नहीं ली है। पुछताछ पर यह भी बताया कि मेरी विपुल बीट कानिस्टेबल एवं सुर्यसिंह हैड कानि. से कोई उधारी, लेन देन बाकियात नहीं है ना ही किसी प्रकार की कोई आपसी रंजीश है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने पर परिवादी को ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया भलीभांती समझाई गई। कार्यालय में रखा डिजीटल टेप रिकार्डर निकलवाया जाकर उसके संचालन की विधी पूर्णतया परिवादी को समझाई गई तथा श्री माजिद खान कानि. को मेरे कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी एवं कानि. का आपस में परिचय कराया गया। परिवादी ने बताया कि मैं आज भी थाने पर जाकर बीट कानिस्टेबल विपुल से मिला तो उसने कहा कि मेरी हैड साहब सुर्यसिंह से बात हो गयी है तू 3,000 रुपये लेकर आ जा, अभी फिर थाने पर आउंगा तो वो बात नहीं करेगा। परिवादी को दिनांक 01.03.2022 को समय दोपहर 12-01 बजे के बीच पुलिस थाना कलिंगरा के आसपास मिलने हेतु मुनासिब हिदायत की गई तथा श्री माजिद खान कानि. को निर्देशित किया गया कि दिनांक 01.03.2022 को परिवादी से सम्पर्क नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करावें। परिवादी श्री सुखलाल को मुनासिब हिदायत के रुखसत किया गया।

दिनांक 01.03.2022 समय 12.05 पीएम पर श्री माजिद खान कानि. को मय डिजीटल टेप रिकोर्डर ब्यूरो इकाई बांसवाडा से पुलिस थाना कलिंगरा जिला बांसवाडा के लिए रवाना किया गया। समय 03.30 पीएम पर परिवादी श्री सुखलाल एवं श्री माजिद खान कानि० ब्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आये और श्री माजिद कानि. द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत कर बताया कि ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवानाशुदा समय करीब 12.40 पीएम पर कलिंगरा पहुंचा जहां परिवादी श्री सुखलाल उपस्थित मिला। परिवादी को डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूद कर उसके संचालन की विधी समझाई गयी। परिवादी ने बताया कि मेरी जरिये मोबाईल पर श्री विपुल बीट कानिस्टेबल से वार्ता हुई है तो उन्होने मुझे थाने के सामने होटल पर मिलने हेतु कहा है। जिस पर समय करीब 01.00 पीएम पर परिवादी को डिजीटल टेप रिकोर्डर के संचालन की विधी समझाते हुए सुपूद कर मैं होटल के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाकर मूकिम हुआ। समय करीब 02.45 पीएम पर परिवादी बाद सत्यापन मन् कानि के पास आकर डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूद कर बताया कि विपुल बीट कानिस्टेबल से वार्तालाप हुई तो उसके द्वारा 3,000 रुपये स्वयं व हैड साहब के लिये मांग की गई है जिसे मैने डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड कर लिया है। परिवादी ने भी श्री माजिद कानि. द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की ताईद की गई। डिजीटल टेप रिकोर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाकर सुना गया तो आरोपी विपुल द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। परिवादी द्वारा दिनांक 28.02.2022 को जरिये दूरभाष सूचना पुलिस कन्ट्रोल रूम में देने पर पुलिस थाना कलिंगरा से श्री सुर्यसिंह हैड कानि व पुलिस जाप्ता मौके पर गया था तथा आरोपी श्री विपुल बीट कानिस्टेबल भी रिश्वत राशि स्वयं एवं आरोपी श्री सुर्यसिंह हैड कानि. के लिये मांग कर रहा है। प्रकरण में आरोपी हैड कानि. श्री सुर्यसिंह से भी सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। परिवादी ने बताया कि मेरे अभी दो तीन दिन निजी आवश्यक कार्य है एवं श्री सुर्यसिंह हैड साहब से मुलाकात होते ही रिश्वत मांग सत्यापन हेतु सम्पर्क करुंगा और रिश्वत राशि 3,000 रुपये की व्यवस्था करने में 7-8 दिन का समय लग सकता है। परिवादी श्री सुखलाल को ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता बरतने एवं श्री सुर्यसिंह हैड कानि से सम्पर्क होते ही तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने हेतु मुनासिब हिदायत रुखसत किया गया तथा डिजीटल टेप

रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाने में रखा गया। श्री माजिद खान कानि. को भी परिवादी से निरन्तर सम्पर्क में रहने की मुनासिब हिदायत दी गई।

दिनांक 07.03.2022 समय 10.28 एएम पर परिवादी श्री सुखलाल से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि इतने दिन निजी काम में व्यस्त था और मैंने अपने स्तर पर थाने पर पता किया तो श्री सुर्यसिंह हैड साहब आज पुलिस थाना कलिंजरा पर ही मिलेंगे। जिस पर श्री माजिद खान कानि. को ब्यूरो की डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेकर आरोपी श्री सुर्यसिंह हैड कानि. से रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु मुनासिब हिदायत के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से पुलिस थाना कलिंजरा के लिये रवाना किया गया। समय 03.15 पीएम पर परिवादी श्री सुखलाल एवं श्री माजिद खान कानि. ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर हाजीर आये व श्री माजिद खान कानि. द्वारा ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत कर बताया कि ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवानाशुदा समय 11.30 एएम पर कलिंजरा पहुँचा जहाँ पर परिवादी श्री सुखलाल को समय करीब 12.10 पीएम पर डिजीटल टेप सुपूद कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मुनासिब हिदायत के पुलिस थाना कलिंजरा रवाना किया गया तथा मन् कानि. थाने के आस पास अपनी उपस्थिति छुपाकर मूकम रहा। समय करीब 2.30 पीएम पर परिवादी श्री सुखलाल मन् कानि. के पास आकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपूद कर बताया कि मैंने हैड साहब श्री सुर्यसिंह से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो उन्होंने भी थाने के बाहर चाय की होटल पर मिलने हेतु कहा और वो होटल पर आकर मिले वहाँ पर लोगो की ज्यादा भीड़ भाड़ होने से हैड साहब ने होटल पर बात नहीं की और होटल से थाने की तरफ रोड़ पर चलते हुए मुझसे वार्तालाप की हैड साहब ने भी बीट कानिस्टेबल विपुल से रिश्वत राशि 3,000 रुपये बाबत वार्तालाप होना बताकर उनके द्वारा भी मुझसे 3,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई उक्त वार्ता को मैंने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो आरोपी हैड कानि. द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। परिवादी श्री सुखलाल ने बताया कि अभी तक रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं हुई है। परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर अविलम्ब ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आने एवं ट्रेप कार्यवाही की पूर्ण गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रुखसत किया गया तथा डिजीटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

दिनांक 14.03.2022 को समय 07.53 एएम पर श्री माजिद खान कानि. ने परिवादी श्री सुखलाल से जरिये दूरभाष वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि की व्यवस्था हो गयी है, जो रिश्वत राशि लेकर दिन में करीब 2.00 बजे तक ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आ जाऊंगा। परिवादी के उपस्थित आने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने पर श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर बांसवाडा को अविलम्ब दो स्वतंत्र गवाह ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर भिजवाने हेतु जरिये दूरभाष निवेदन किया गया। समय 11.20 एएम पर परिवादी श्री सुखलाल ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर उपस्थित आया और बताया कि रिश्वत राशि 3,000 रुपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूँ जिस पर परिवादी को सुरक्षित एक कमरे में बैठाया गया। समय 12.05 पीएम पर तलबिदाशुदा स्वतंत्र गवाह श्री विजय पाटीदार हाल वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पृथ्वीगंज बांसवाडा एवं श्री जफर इकबाल हाल व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पृथ्वीगंज बांसवाडा ब्यूरो इकाई उपस्थित आये। दोनो गवाहों को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही में सम्मिलित रहने हेतु स्वीकृति चाही गई तो दोनो गवाहानों ने अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति व्यक्त की गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री सुखलाल का दोनो गवाहो से आपस में परस्पर परिचय कराया गया तथा दिनांक 28.02.2022 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को दोनो गवाहानों को पढाई गयी तो गवाहानों के समक्ष परिवादी ने शब्द-बशब्द सही होना स्वीकार किया, रिपोर्ट पर दोनो गवाहानों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 12.35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में दिनांक 01.03.2022 को परिवादी सुखलाल व आरोपी श्री विपुल कानिस्टेबल के बीच हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप एवं दिनांक 07.03.2022 को परिवादी सुखलाल एवं आरोपी श्री सुर्यसिंह हैड कानि. के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप ब्यूरो की डिजीटल टेप रिकॉर्डर में परिवादी द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। मालखाने से डिजीटल टेप रिकॉर्डर को निकालकर कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा परिवादी श्री सुखलाल एवं आरोपी श्री विपुल कानिस्टेबल के मध्य दिनांक 01.03.2022 को हुई रिश्वत मांग वार्ता की मूल एवं डब सीडीयां श्री माजिद खान कानि. से तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को परिवादी व स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष सुना जाकर श्री माजिद खान कानि. से फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को पृथक-पृथक एक कपडे की थैली में डालकर थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर सीडी को नियमानुसार सील की गई। समय 01.40 पीएम पर दिनांक 07.03.2022 को परिवादी सुखलाल एवं आरोपी श्री सुर्यसिंह हैड कानि. के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा रिश्वत मांग वार्ता की मूल एवं डब सीडीयां श्री माजिद खान कानि. से तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को परिवादी व स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष सुना जाकर श्री माजिद खान कानि. से फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को पृथक-पृथक एक कपडे की थैली में डालकर थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर सीडी को नियमानुसार सील की गई। समय 02.45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री सुर्यसिंह हैड कानि. को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री सुखलाल से मांगने पर उसने उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अपने पास से 500-500 रुपये के 06 नोट कुल 3,000 रुपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। मालखाने से फिनॉफ्थेलीन की शिशी श्री राजेश कुमार कानि. के निकलवाई जाकर फिनॉफ्थेलीन पाउडर को उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों और लगवाया जाकर नोटो को परिवादी श्री सुखलाल की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जैब में कोई वस्तु नहीं छोड़ते हुये रखवाये गये तत्पश्चात् श्री माजिद कानि. से

4

एक साफ काँच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला। इस रंगहीन घोल में श्री राजेश कुमार कानि० की दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनॉफथेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनॉफथेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा तथा सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी के हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री राजेश कुमार कानि० से कार्यालय के बाहर फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए। श्री श्री राजेश कुमार कानि० एवं श्री माजिद कानि० के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो दूर से हाथ जोडकर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें, तथा रिश्वती राशि दे दिये जाने के बाद अपने सिर हाथ फेर कर या अपने मोबाईल नम्बर से मन् अति० पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल करके आरोपी को रिश्वत राशि दिये जाने का इशारा करें। यह निर्धारित इशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। फिनोफथेलीन पाउडर की शिशी को सुरक्षित मालखाने में रखा गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयों, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को श्री माजिद कानि० से साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करें। समय 03.20 पीएम पर परिवादी श्री सुखलाल के मोबाईल नम्बर 8529804942 से आरोपी श्री सुर्यसिंह हैड कानि. के मोबाईल नम्बर 7023309316 पर वार्ता कराई गई तो आरोपी हैड कानि. ने थाने में नहीं होकर राजकार्य से बाहर होना बताया है तथा कब मिलना है के बारे में परिवादी को नहीं बताया गया है। परिवादी श्री सुखलाल की पहनी हुई पेन्ट की जैब से रिश्वत राशि 3,000 रुपये श्री राजेश कुमार कानि. से निकलवाई जाकर सुरक्षित ट्रेप बाँक्स में रखवाई गई। परिवादी श्री सुखलाल एवं दोनों स्वतंत्र गवाहानों को ट्रेप कार्यवाही की पूर्ण गोपनीयता बरतने तथा कल दिनांक 15.03.2022 को समय 10.30 एएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर उपस्थित आने की मुनासिब हिदायत कर रुखसत किये गये।

दिनांक 15.03.2022 समय 10.30 एएम पर पूर्व पाबंदशुदा दोनों स्वतंत्र गवाह श्री विजय कुमार पाटीदार एवं श्री जफर इकबाल ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आये जिन्हें कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय 11.40 एएम पर परिवादी श्री सुखलाल ब्यूरो इकाई बांसवाडा परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय 11.55 एएम पर परिवादी श्री सुखलाल के मोबाईल नम्बर 8529804942 से आरोपी श्री सुर्यसिंह हैड कानि. के मोबाईल नम्बर 7023309316 पर वार्ता कराई गई तो आरोपी हैड कानि. द्वारा पुलिस थाना कलिंजरा पर नहीं होकर राजकार्य से बाहर जिला जूंगरपुर जाना बताया गया तथा कब मिलना है के बारे में परिवादी को नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की संभवना नहीं होने से परिवादी श्री सुखलाल एवं दोनों गवाहानों को कल दिनांक 16.03.2022 को समय 09.00 एएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आने की मुनासिब हिदायत कर रुखसत किया गया। दिनांक 16.03.2022 समय 9.00 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाह श्री विजय कुमार पाटीदार एवं श्री जफर इकबाल ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आये जिन्हें कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय 11.30 एएम पर परिवादी श्री सुखलाल ब्यूरो इकाई बांसवाडा आया। समय 11.45 एएम पर परिवादी श्री सुखलाल के मोबाईल से आरोपी श्री सुर्यसिंह हैड कानि. के मोबाईल एवं आरोपी श्री विपुल कानि० के मोबाईल पर कई बार फोन लगवाया गया तो दोनों आरोपीगण ने परिवादी का फोन रिसीव नहीं किया गया, जिस परिवादी श्री सुखलाल को मुनासिब हिदायत दी गई कि आरोपीगण श्री सुर्यसिंह हैड कानि एवं श्री विपुल कानि० द्वारा रिश्वत राशि हेतु सम्पर्क करते ही तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करावें। ऐसी स्थिति में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की संभावना नहीं होने से परिवादी श्री सुखलाल एवं दोनों गवाहानों को मुनासिब हिदायत कर रुखसत किया गया।

दिनांक 31.03.2022 को परिवादी श्री सुखलाल के मोबाईल पर कई बार सम्पर्क किया गया तो परिवादी को फोन स्वीच ऑफ आया है तथा परिवादी ने अभी तक मन् अति० पुलिस अधीक्षक से जरिये दूरभाष सम्पर्क नहीं किया है तथा ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा में भी उपस्थित नहीं आया है, ऐसी स्थिति में श्री राजेश कानि० को परिवादी के गांव नाल जाकर परिवादी से सम्पर्क कर हमराह लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित लाने हेतु मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। श्री राजेश कानि० ब्यूरो इकाई, बांसवाडा उपस्थित आया और मन् अति० पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि परिवादी श्री सुखलाल के गांव नाल उसके घर पर गया तो परिवादी अपने घर उपस्थित नहीं मिला। परिवादी के पिता श्री फुलजी मिले तो उन्होंने बताया कि सुखलाल दूसरे गांव में गैहू की फसल काटने गया है वह देर रात घर आयेगा, जिस पर उसके पिता श्री फुलजी को परिवादी सुखलाल के घर पर आने पर कल दिनांक 01.04.2021 ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित आने हेतु मुनासिब हिदायत की गई है।

दिनांक 01.04.2022 समय 11.25 एएम पर परिवादी श्री सुखलाल ब्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आया और मन् अति० पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि अभी तक श्री सुर्यसिंह हैड कानि० एवं श्री विपुल कानि० द्वारा अभी तक रिश्वत राशि हेतु सम्पर्क नहीं किया। परिवादी ने यह भी बताया कि मैंने कई बार श्री

सुर्यसिंह हैड कानि० एवं श्री विपुल कानि० से फोन से सम्पर्क चाहा पर वह दोनों फोन से वार्तालाप नहीं कर रहे हैं और मेरे गांव नाल में लोगों में चर्चा चल रही है कि पुलिस थाना कलिंजरा के श्री सुर्यसिंह हैड साहब के खिलाफ मैंने एसीबी कार्यालय में कोई शिकायत दर्ज कराई है। इसलिए सुर्यसिंह हैड साहब व विपुल बीट कानि० ने रिश्वत राशि हेतु मुझसे सम्पर्क नहीं किया है और दोनों ने फोन से वार्तालाप करना बंद कर दिया है। अब वह दोनों मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेगे। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान श्री जफर इकबाल प्राध्यापक व श्री विजय पाटीदार वरिष्ठ अध्यापक से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो गवाह श्री विजय पाटीदार ने बताया कि वह अवकाश पर होकर बांसवाडा से बाहर गया हुआ है। गवाह श्री जफर इकबाल को तुरन्त ही ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने व प्राचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय पृथ्वीगंज बांसवाडा से जरिये दूरभाष निर्देशित किया गया कि श्री विजय पाटीदार के जगह अन्य कोई गवाह को ब्यूरो कार्यालय में अविलम्ब भिजवाये। समय 01.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाह श्री जफर इकबाल एवं उनके हमराह गवाह श्री चुन्नीलाल राठौड पुत्र श्री रामचन्द्र राठौड उम्र 58 वर्ष जाति भोई निवासी उपला भोईवाडा, थाना कोतवाली जिला बांसवाडा हाल वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय पृथ्वीगंज जिला बांसवाडा हाजिर आये। समय 01.45 पीएम पर गवाह श्री चुन्नीलाल भोई को परिवादी श्री सुखलाल से आपस परिचय कराया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जफर इकबाल एवं श्री चुन्नीलाल को अब तक की ट्रेप कार्यवाही के सम्पूर्ण हालात बताये जाकर परिवादी श्री सुखलाल को रिश्वत राशि 3000 रुपये को जरिये फर्द पुनः लोटाये गये तथा परिवादी श्री सुखलाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जफर इकबाल एवं श्री चुन्नीलाल को मुनासिब हिदायत के रूखसत किये गये।

प्रकरण में परिवादी श्री सुखलाल द्वारा दिनांक 28.02.2022 को पेश प्रार्थना पत्र, फर्द रिश्वत मांग सत्यापन, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं ट्रेप कार्यवाही के सम्पूर्ण हालात से स्पष्ट है कि दिनांक 26.02.2022 को परिवादी श्री सुखलाल एवं उसके परिवार के सदस्यों के बीच जमीन विवाद के कारण आपस में झगडा हो जाने से परिवादी ने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना देने पर पुलिस थाना कलिंजरा से श्री सुर्यसिंह हैड कानि. व पुलिस जाप्ता परिवादी के घर गांव नाल गया और पुलिस जाप्ता द्वारा परिवादी एवं उसके काका श्री सोनिया को थाने की जीप में बैठाकर पुलिस थाना ले जाने लगे तो गांव के श्री गौतम द्वारा हाथाजोडी कर दिनांक 27.02.2022 को परिवादी श्री सुखलाल एवं उसके काका सोनिया को थाने पर उपस्थित आने हेतु कहने पर श्री सुर्यसिंह हैड कानि व पुलिस जाप्ता पुनः पुलिस थाना कलिंजरा के लिये रवाना हो गया। दिनांक 27.02.2022 को परिवादी श्री सुखलाल द्वारा कानूनी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट देना चाहा पर थाने पर उसकी रिपोर्ट नही लेकर श्री विपुल बीट कानिस्टेबल एवं श्री सुर्यसिंह हैड कानि ने आपस में मिलीभगत कर कानूनी कार्यवाही से बचने हेतु 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। जिस पर परिवादी के हाथाजोडी करने पर 3,000 रुपये की मांग की गई।

परिवादी श्री सुखलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार दिनांक 01.03.2022 को रिश्वत मांग का सत्यापन कराया गया तो आरोपी श्री विपुल कानि द्वारा 3,000 रुपये रिश्वत राशि स्वयं एवं आरोपी श्री सुर्यसिंह हैड कानि. के लिये मांग की गई तथा दिनांक 07.03.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री सुर्यसिंह हैड कानि द्वारा भी परिवादी से 3,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई परन्तु आरोपीगण श्री सुर्यसिंह हैड कानि एवं श्री विपुल कानि. को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से परिवादी श्री सुखलाल से सम्पर्क करना बंद कर दिया। प्रकरण में आरोपीगण श्री सुर्यसिंह हैड कानि एवं श्री विपुल कानि. द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में दिनांक 01.03.2022 व 07.03.2022 को परिवादी श्री सुखलाल से 3,000 रुपये की स्पष्ट रुप से रिश्वत की मांग करना जो जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः आरोपीगण श्री सुर्यसिंह पुत्र श्री लालसिंह निवासी गांव ओडवाडा थाना गढी जिला बांसवाडा हाल हैड कानि-307 पुलिस थाना कलिंजरा जिला बांसवाडा एवं श्री विपुल कुमार पाटीदार पुत्र श्री किसोरीलाल पाटीदार निवासी गांव जौलाना तहसील गढी जिला बांसवाडा हाल कानि-127 पुलिस थाना कलिंजरा जिला बांसवाडा के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अनिनियम, 2018 के अंतर्गत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,




(माधोसिंह)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री सूर्यसिंह, हैड कानि. नम्बर 307, एवं 2. श्री विपुल कुमार पाटीदार, कानि. नम्बर 127, पुलिस थाना कलिंगरा जिला बांसवाड़ा के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 186/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तपतीश जारी है।


17.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 1644-48 दिनांक 17.5.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक जिला बांसवाड़ा।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा।


17.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।